भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3178
दिनांक 06 अगस्त, 2026

सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों द्वारा एमएसएमई खरीद और भुगतान

†3178. **श्री काली चरण सिंहः**

क्या ***पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय के अंतर्गत इंडियन आयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल), गेल (इंडिया) लिमिटेड और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमई) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा के भीतर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) ठेकेदारों, विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं को भुगतान सुनिश्चित कर रहे हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) विगत दशक के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम-वार और वर्ष-वार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से कुल कितने मूल्य की खरीद की गई है, कितना भुगतान किया गया है, बकाया राशि कितनी है और निर्धारित अवधि से अधिक लंबित मामलों की संख्या कितनी है;

(ग) विगत दस वर्षों के दौरान एमएसएमई को विलंबित भुगतान के लिए देय अथवा भुगतान किए गए दंडात्मक ब्याज का ब्यौरा क्या है और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम-वार इस विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, गेल और सरकार के अधीन अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा शुरू किए गए खरीद, कार्यों और सेवा संविदाओं में भाग लेने वाले एमएसएमई विक्रेताओं और ठेकेदारों को बयाना राशि जमा (ईएमडी)/बोली सुरक्षा और निष्पादन सुरक्षा के भुगतान से छूट दी गई है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) खरीद प्रक्रियाओं को सरल बनाने, समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और निविदाओं में एमएसएमई की भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव हैं ?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (ग): पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयूज) जिनमें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल), गेल (इंडिया) लिमिटेड और अन्य

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयूज) शामिल हैं, ने सुदृढ़ प्रणालियों और प्रक्रियाओं को स्थापित किया है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मौजूदा निर्देशों के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसईज) को भुगतान किया जाए।

भुगतान सामान्यतः निर्धारित अवधि के भीतर जारी कर दिया जाता है, जो संविदात्मक दायित्वों की पूर्ति, माल/सेवाओं की स्वीकृति, पूरी एवं सही इनवॉयस प्रस्तुत करने, तथा यदि कोई, संविदात्मक या तकनीकी समस्या हो, के समाधान के अधीन है। मामले, जहां विलंब होता है, मुख्य रूप से अपूर्ण दस्तावेज जमा करने, गुणवत्ता या तकनीकी समस्याओं, संविदात्मक विवादों, बिलों के मिलान, अप्रत्याशित घटनाओं तथा अन्य प्रचालन आवश्यकताओं के कारण होता है।पिछले दस वर्षों में पीएसयूज द्वारा एमएसएमईज को किए गए भुगतान संबंधी किसी भी महत्वपूर्ण विलंब की रिपोर्ट नहीं की गई ।

(घ): सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसईज) के लिए सार्वजनिक अधिप्राप्ति नीति आदेश, 2012 के अनुसार, समय-समय पर यथासंशोधित, पात्र एमएसईज पर लागू अधिप्राप्ति में अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (ईएमडी)/बिड सिक्युरिटी के भुगतान से छूट दी गई है। हालांकि, एमएसई वेंडर्स और संविदकारों को परफॉरमेंस सिक्युरिटी से छूट नहीं दी गई है क्योंकि परफॉरमेंस सिक्युरिटी, व्यय विभाग द्वारा जारी सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर), 2017 और समय-समय पर जारी अन्य लागू सरकारी निर्देशों के अनुसार शासित है।

(ड.): मंत्रालय और इसके पीएसयूज ने एमएसएमईज की अधिक भागीदारी को सुगम बनाने और उन्हें समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ पारदर्शिता, भागीदारी में सुलभता और व्यापक बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु सरकारी ई-मार्केटप्लेस और ई-निविदा मंचों के माध्यम से अधिप्राप्तियां करना; नियमित वेंडर आउटरीच कार्यक्रम और क्षमता निर्माण पहलों का संचालन करना; सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए सार्वजनिक अधिप्राप्ति नीति आदेश, 2012 के तहत अधिप्राप्ति वरीयता प्रदान करना; पूर्व कारोबार और पूर्व अनुभव मानदंडों में छूट; इनवॉयस की समय पर प्रोसेसिंग करना और एमएसएमई-समाधान पोर्टल के माध्यम से बकाया भुगतान की नियमित निगरानी करना शामिल है।
